

## प्रोफार्मा- 10 (अ)

(अनुसूची- 3(9 क) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी हेतु प्रमाण-पत्र #

प्रमाणित फोटो  
(नीट यू.जी. 2023  
के प्रवेश पत्र  
अनुसार)

क्रमांक .....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी .....पुत्र श्री  
.....(पिता) एवं श्रीमती .....(माता) स्थान-....., तहसील-....., जिला-  
..... (मध्यप्रदेश) जो प्रवेश परीक्षा नीट यू.जी. 2023 के परिणाम के आधार पर  
(एमबीबीएस/बीडीएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है एवं वह मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)  
में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन 10 मई 2023 \* में उल्लेखित  
नियम 2 (ब) की अपेक्षा पूर्ण करता/करती है।

हस्ताक्षर

नाम.....

स्थान:- .....

पदमुद्रा

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला संयोजक/सहायक आयुक्त

नोट-

- \* 1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन 10 मई 2023 \* में उल्लेखित नियम 2 (ब) -  
"शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी" से अभिप्रेत है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- # 2. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन 10 मई 2023 में उल्लेखित अनुसूची-3 की तालिका क्रमांक 9 (क) अनुसार- शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी नियम 2 (ब) की अपेक्षा पूर्ण करता है, मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**प्रोफार्मा- 10 (ब)**  
(अनुसूची- 3(9 क) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)  
शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी हेतु प्रमाण-पत्र #

प्रमाणित फोटो (नीट  
यू.जी. 2023 के प्रवेश  
पत्र अनुसार)

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी  
.....पुत्र श्री .....(पिता) एवं श्रीमती .....(माता)  
स्थान- ....., तहसील-....., जिला- ..... (मध्यप्रदेश) जो प्रवेश परीक्षा नीट यू.जी. 2023  
के परिणाम के आधार पर (एमबीबीएस/बीडीएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है एवं वह  
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन  
10 मई 2023 \* में उल्लेखित नियम 2 (ब) की अपेक्षा पूर्ण करता/करती है।

**हस्ताक्षर**

नाम.....

स्थान:- .....

**पदमुद्रा**

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला संयोजक/सहायक आयुक्त

**नोट-**

- \* 1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन 10 मई 2023 \* में उल्लेखित नियम 2 (ब) -  
"शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी" से अभिप्रेत है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- # 2. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन 10 मई 2023 में उल्लेखित अनुसूची-3 की तालिका क्रमांक 9 (क) अनुसार-  
शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी नियम 2 (ब) की अपेक्षा पूर्ण करता है, मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।